My hon. friend, Shri Achar, referred to a case. A welfare inspector has been specially deputed to go and make delivery to the dependents.

Then my hon. friend, Shri Reddy, referred to the poor arrangements that were made for the farmers who came to see the World Agriculture Fair. The House is aware of the strain under which the Railways are working. This was a particularly busy time of the year when we were straining to run as many goods trains as possible. Consistent with that situation and at the request of the hon. Minister, who organised this World Agriculture Fair, and knowing the interest of the *kisans* to visit this Fair, we made special arrangements. I think we ran over 50 special trains for the *kisans*. I am sorry that there were delays sometimes on the way. Many of these *kisans* came from very distant places. Some, I think, even came from Kerala, Madras and Andhra. We tried to make as good arrangements as possible. But there were so many crossings on the way. Some trains were delayed. I am sorry to hear that. But we did make special arrangements to ensure that for every train that arrived in Delhi, even if it arrived ten hours late, people were given ten hours extra stay in Delhi.

I hope I have made myself very clear. Although the *kisans* may have arrived a few hours late, they were allowed to remain in Delhi for extra time.

Mr. Speaker: Sometimes it was extended by a day also.

Shri Shahnawaz Khan: Yes. When people wanted extensions, we extended it. If, in spite of that, there was some inconvenience to anybody, all I can say is that I am very sorry. We are trying, and we will continue to do our best.

Mr. Speaker: Is it necessary to put any of the cut motions to the vote of the House?

Shri T. B. Vittal Rao: I withdraw my cut motions.

The cut motions were, by leave, withdrawn.

Shri S. M. Banerjee: I also withdaw my cut motions.

The cut motions were, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker: I will put all the Demands together to the vote of the House. The question is:

> "That the respective supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column of the order paper be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1960, in respect of the following demands entered in the second column thereof—
>
> Demand Nos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 and 19."

The motion was adopted.

13·18 hrs.

DELHI LAND HOLDINGS (CEILING) BILL—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shrimati Violet Alva on the 24th February, 1960, namely:—

> "That the Bill to provide for the imposition of a ceiling on land holdings in the Union territory of Delhi and for matters connected therewith, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."

The time allotted for this was three hours. The time already taken is 1 hour 37 minutes. The balance available is 1 hour 23 minutes. Shri Naval Prabhakar may kindly continue his speech.

Shri Braj Raj Singh (Firozabad): I wanted one information the other day. The hon. Minister said that he will give the information.

Mr. Speaker: In regard to this?

Shri Braj Raj Singh: Yes, Sir. I wanted to know as to how many persons will be affected by the passing of this Bill.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): The information that the hon. Member wants is like this. After leaving out of account those who would have 30 standard acres, Government will have to take excess land from 155 persons. The total acreage that is likely to be available is in the neighbourhood of 1,700 acres.

Shri Mulchand Dube (Farrukhabad): May I seek a clarification? What is the standard acre so far as Delhi is concerned? It appears it is not an acre of 4,840 sq. yards, but something else.

Shri Datar: The standard acre is not an ordinary acre. There are different types of land, and therefore, the quantity of yield and the facilities for irrigation and other purposes, the number of crops that are likely to be had, all these will be taken into account and then the standard acre would be fixed. It will not be the same for the different areas, because the yielding capacity has to be taken into account, and therefore, if it is one acre in some places, it may be more than one, it maybe two or something more in other areas where the standard of production is less.

Shri Mulchand Dube: Is this part of the Act, or will it be covered by the rules? It occurs in several places.

Shri Datar: My hon. friend will kindly note that we had the Land Reforms Act in Delhi already, and there are rules and regulations made under this, and the position is quite clear because there also this question of ceiling had been fixed so far as future acquisitions were concerned. Therefore, this question had to be considered already.

Shri Mulchand Dube: I am not bothered about the ceiling, I am bothered about the standard acre

Shri Datar: I have pointed out that this question was considered and has been provided for.

Mr. Speaker: Does the hon. Minister mean that the ceiling has been fixed under a separate Act?

Shri Datar: For future acquisitions. This is for present acquisition. We had an amendment of the Delhi Land Reforms Act only last year. What is done now is in respect of present holdings of the various people. Future acquisitions have been provided for.

Mr. Speaker: Is there a great difference between future acquisition and the present one?

Shri Datar: No difference. The lands are the same.

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमन्, मैं उस दिन कह रहा था कि यह विधेयक बहुत से लोगों को प्रभावित करने वाला नहीं है, किन्तु मेरे पूर्व-वक्ताओं ने इस का जो रूप हमारे सम्मुख रखा, उस से ऐसा मालूम होता था कि यह एक ऐसा भयानक बिल है जिस से बहुत से लोग प्रभावित होंगे और सरकार बहुत से लोगों पर एक तरह से अत्याचार कर रही है। मैं विनम्र शब्दों में उन से कहना चाहता हूं कि जसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है, जितने लोग इस से प्रभावित होंगे और जितनी भूमि इस से प्रभावित होगी, वह नहीं के बराबर है। जहां तक मुझे ज्ञात है अधिक से अधिक एक हजार एकड़ भूमि इस विधेयक के अनुसार प्रभावित होने वाली है।

श्री बजराज सिंह : १,७०० एकड़।

श्री नवल प्रभाकर : मैं समझता हूं कि जब यह मामला कोर्ट में जायगा, तो शायद

एक हज़ार एकड़ भी नहीं रहेगा, क्योंकि यह विधेयक बड़ा लचकदार है । ऐसा लचकदार विधेयक मैं ने नहीं देखा है । इस में सब को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया गया है । जैसा कि उस दिन मैं कह रहा था, क्लाज़ २६ में ऐसी छूट दी हुई है कि यदि आप के पास डेयरी फार्म है, तो आप को पूरी छूट है कि आप पूरी ज़मीन अपने पास रख सकते हैं । डेयरी फ़ार्म की क्या परिभाषा है, वह इस में पूरी तरह से नहीं दी गई है । इस में यह भी कहा गया है कि अगर कहीं ऊन के उत्पादन के लिए कोई प्रयत्न किया गया है, तो उस को भी पूरी छूट है ।

श्री मूलचन्द दुबे मुर्गियां पालना नहीं ?

श्री नवल प्रभाकर : वह डेयरी में आ जाता है ।

इसके अतिरिक्त अगर किसी ने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है, तो उस को भी पूरी छूट है । अभी माननीय मंत्री जी ने १,७०० एकड़ की बात बताई है । सिवाये उस भूमि के जो नदी के कटाव में आने वाली भूमि है, वह सम्भवतः सरकार को मिल जायगी, किन्तु इस के अतिरिक्त कोई भूमि उस को मिल सकेगी, इस में मुझे पूर्ण सन्देह है । उस दिन कुछ माननीय सदस्यों की ओर से कहा गया कि जो तीस एकड़ की सीमा निर्धारित की गई है, वह बहुत कम है । जहां तक मेरी अपनी जानकारी है—क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और उस जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं और जब मैं पिछली बार बोल रहा था, तब भी मैं ने कहा था — मैं उस जानकारी को पक्का करने के लिए गांवों में गया और बहुत लोगों से पूछा कि आप के पास कितनी भूमि है । किसी ने कहा कि बीस बीघा है और किसी ने कहा कि पच्चीस बीघा है, चालीस बीघा है। बहुतों के पास दस-पंद्रह बीघा तक है । दस बीघा का मतलब है दो एकड़ भूमि और चालीस बीघा का मतलब है आठ एकड़ भूमि । मैंने चालीस बीघे वाले से पूछा कि आप का गुज़ारा होता हैं या नहीं, तो उस ने बताया कि दाल-रोटी मिल जाती है, ठीक है, परिवार चल जाता है । मैं समझता हूं कि दस एकड़ भूमि जिस के पास है, जब उस का परिवार चल जाता है—मैं आठ एकड़ वाले को छोड़ देता हूं, दस एकड़ वाले पर आ जाता हूं—और हम यहां पर तीस एकड़ को अधिकतम सीमा निश्चित कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में उस में तीन परिवार चल सकते हैं । अगर उस परिवार में दो लड़के हों और पति-पत्नी हों, तो मैं समझता हूं कि वह परिवार अच्छी तरह से चल सकता है । उस दिन यह तर्क दिया गया कि अगर उस के लड़के जवान हैं, तो वह क्या करेगा । मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक कहावत है—

पूत कपूत तो क्यों धन संचय,
पूत सपूत तो क्यों धन संचय ।

इस के अनुसार अगर बेटा सपूत है, तो वह कमायगा और तीस एकड़ अपनी भी बना लेगा, लेकिन अगर कपूत है, तो सौ एकड़ भी छोड़ कर चले जायेंगे, तो वह सौ एकड़ को भी अपने पास रखने वाला नहीं है, वह उस को गंवा देगा । जैसा कि मैं ने अभी बताया है, दस एकड़ में एक परिवार अच्छी तरह से चल सकता है और तीस एकड़ हम तय कर रहे हैं, जिस का मतलब यह है कि तीन परिवारों के भरण-पोषण के लायक हम ज़मीन दे रहे हैं । इस के अतिरिक्त भी इस में और प्रबन्ध है कि पांच व्यक्तियों के परिवार से जो अधिक व्यक्ति होंगे, उन को पांच एकड़ के हिसाब से अधिक भूमि दी जायगी । ऐसी अवस्था में वह साठ एकड़ तक पहुंच जाता है । यह कहना कि तीस एकड़ की सीलिंग बहुत कम है, यह मैं नहीं समझता । हमारे निकटवर्ती पंजाब में भी तीस एकड़ है, राजस्थान में भी तीस एकड़ है । और यहां पर यह तीस एकड़ किस ने

[श्री नवल प्रभाकर]

तय किया ? पहले हमारे यहां जब लैंड रिफोर्म्ज बिल आया, तो उस समय यहां पर दिल्ली विधान सभा थी । दिल्ली विधान सभा में दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि मौजूद थे । वहां जो विधायक थे, उन में से ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की एक कमेटी बनाई गयी । उस कमेटी ने एक साल तक इस पर विचार करने के बाद कुछ मुद्दे तय किये और उस के बाद इस बिल की रूप-रेखा, उस का ड्राफ्ट आया । फिर विधान सभा में वह बिल पेश हुआ । विधान सभा में वह बिल प्रवर समिति को भेज दिया गया । प्रवर समिति में भी उस पर विचार हुआ । प्रवर समिति में विचार होने के बाद वह बिल फिर विधान सभा में आया । वहां उस पर फिर विचार किया गया और उस के बाद तय पाया गया कि आगे आने वाले समय के लिए तीस स्टैंडर्ड एकड़ हमारे लिए ठीक है । दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत सोच-विचार के बाद तीस स्टैंडर्ड एकड़ रखा था और बड़ी खुशी के साथ रखा था । उस का कोई विरोध नहीं हुआ । मैं यह कह सकता हूं कि इस बिल का भी आज दिल्ली के लोगों की ओर से कोई विरोध नहीं है । एक भी दिल्ली वाले की, जिस के पास यहां पर जमीन है, इस विधेयक से न तो नाराजगी है और न ही कोई विरोध है । जैसा कि मैं ने उस दिन कहा था, यह तो नीति का प्रश्न है । एक दल है कांग्रेस दल । उस की अपनी नीति है कि हम ने यहां पर सीलिंग करना है, भूमि की सीमा निर्धारित करनी है । यह उसी का परिणाम है और नहीं तो मैं यह समझता हूं कि दिल्ली में यदि सीलिंग बीस स्टैंडर्ड एकड़ की होती, तो उस से सरकार को कुछ न कुछ भूमि प्राप्त हो जाती और उस में सरकार अपने विचार के अनुसार या तो कोआपरेटिव फ़ार्मिंग चला सकती या उन लोगों को जमीन दे सकती थी, जो लैंडलैस हैं, या जो खेत पर काम करते हैं । इस समय १,७०० एकड़ है । वह रहेगा या नहीं, कितना दिया जायगा, कितनों का भला होगा, यह मैं नहीं समझ सकता । किन्तु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं और वह स्टैंडर्ड एकड़ के सम्बन्ध में है । यह हमें निश्चित करना होगा कि जो स्टैंडर्ड एकड़ हम तय करें . . . .

Mr. Speaker: How is the standard acre determined?

Shri Datar: That is what I have pointed out already. We find out the yielding capacity of the land.....

Mr. Speaker: Where is it in clause 2?

Shri Datar: It is not here. It is there in the original Act. This is a supplementary Bill. This does not deal with land reforms matters as such. We had the Land Reforms Act passed by the then Delhi Legislature, and then, certain amendments were made therein. Therefore, this question does not directly arise here. That matter has already been provided for in the rules. It has been duly notified, and there is no dispute about what a standard acre would be. It would be different in different parts of Delhi.

Mr. Speaker: Is the definition of standard acre given here anywhere?

Shri Datar: This has a reference to the Land Reforms Act of Delhi, which is the principal Act, and this deals only with the question of ceilings.

Shri P. R. Patel (Mehsana): What is the definition of 'standard acre'?

Mr. Speaker: I only wanted that to be made clear in this Bill.

Shri Datar: I shall make it clear in my speech.

Mr. Speaker: It is not stated in this Bill anywhere that the words 'standard acre' shall have the same meanings as in the original Act?

Shri Datar: If necessary, we shall make it clear here.

Mr. Speaker: For, it is not stated here that this Bill seeks to amend the previous Act. If this is an amendment to the previous Act, then, the definition clause in that Act will apply in this Bill also; or, if this is an addition to the previous Act, then the definitions in both the measures will apply.

Shri Datar: May I invite your attention to clause 2 (h) which reads:

> "the words and expressions 'Asami', 'Bhumidhar', 'Deputy Commissioner', 'Gaon Panchayat', 'improvement', 'land', 'standard acre' and 'village' shall have the meanings respectively assigned to them in the Delhi Land Reforms Act, 1954.".

Shri C. K. Nair (Outer Delhi): I think it is better to have a clarification of what the standard acre means, for, the old definition was meant for people who would like to acquire more than 30 acres. Now, we are going to impose a ceiling of 30 acres.

Mr. Speaker: Does the hon. Member want to speak on this Bill?

Shri C. K Nair: Yes.

Mr. Speaker: Very well. I shall call him afterwards.

श्री नवल प्रभाकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्टैंडर्ड एकड़ के बारे में अर्ज कर रहा था। दिल्ली प्रशासन ने जो इसके बारे में निश्चय किया था वह यह था कि इसको छः भागों में विभक्त किया जाये और ये छः भाग हैं बंजर, डाबर, कोडी, खादर, खांडर और शाहदरा की जमीन। इस तरह से छः भागों में उसने इसको विभाजित किया है। स्टैंडर्ड एकड़ का हर जगह पर मूल्य अलग-अलग होगा।

13.34 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

यह कहा गया है कि बंजर में तो १६ आना होगा और अगर इसको मान लिया जाये तो फिर डाबर में उसकी कीमत क्या रहेगी, शाहदरा में जा कर क्या रहेगी, खांडर में जा कर क्या रहेगी, खादर में क्या रहेगी यह मैं जानना चाहता हूं।

यह भी मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जोकि शाहदरा में रहने वाला है जिस के पास ३० स्टैंडर्ड एकड़ है उसके पास आपके अनुसार कितने गज का स्टैंडर्ड एकड़ वहां पर लगाया जायगा। यह जानकारी मैं मंत्री महोदय से निश्चित रूप से जानना चाहता हूं। इसी तरह से आप यह भी बतलायें कि खादर के अन्दर आप कितने गज का स्टैंडर्ड एकड़ मानेंगे, खांडर के अन्दर कितने गज का मानेंगे, डाबर में कितने गज का मानेंगे। मैं चाहता हूं कि यह चीज माननीय मंत्री महोदय पूरी सफाई के साथ हमें बतलायें।

उस में भी मैं यह चाहूंगा कि जो चाही जमीन है, उस में उसका मूल्य क्या होगा, यह जो भूमि हैं यह गजों के हिसाब में कितनी होगी, अगर वह चाही और नहरी दानों है, उस अवस्था में क्या होगी, यदि केवल नहरी है तो उस में क्या होगी। इरिगेटिड लैंड में क्या अवस्था होगी, बारानी है, जो वर्ष में मैलाब होती है, उसमें क्या होगी और जिस में मैलाब आता है, उस में उसकी क्या अवस्था होगी। मैं चाहता हूं कि मुझे बतलाया जाये कि इन भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में कितने गज का स्टैंडर्ड होगा और क्या तरीका है जिसको अपना कर कि स्टैंडर्ड एकड़ का फैसला किया जायेगा ताकि यह चीज हमारी समझ में आ सके और शाहदरे वालों को पता चल सके कि कितनी भूमि उनको मिलने वाली है। यह जरूर है कि एक व्यक्ति को ३० स्टैंडर्ड एकड़ मिलेगी लेकिन गजों में या बीघों में वह कितनी भूमि होगी यह आज सही नहीं बताया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से भूमि को छः भागों में विभक्त किया गया हैं और प्रत्येक भाग को जो उसकी अलग अलग-अवस्था हैं, चाही है, चाही नहरी

[श्री नवल प्रभाकर]

है, नहरी है, आबी है, बारानी है, सैलाबी है, इन सब में भूमि की क्या अवस्था होगी, कितने गज का स्टैंडर्ड एकड़ होगा, यह हमें बताया जाये ताकि हमें पता चल सके कि शाहदरा वालों का स्टैंडर्ड एकड़ इतना रहेगा, खा वालों का इतना रहेगा, डाबर वालों का इतना रहेगा, इत्यादि इत्यादि ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को खत्म करना चाहिए । बहुत वक्त हो गया है जब पहली घंटी बजाई गई थी ।

श्री नवल प्रभाकर : पूर्व वक्ता से आधा भी समय मैं ने अभी नहीं लिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह मालूम नहीं, लेकिन स्पीकर साहब ने घंटी जरूर बजाई थी ।

श्री नवल प्रभाकर : १० मिनट में समाप्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : १० मिनट में तो सारी स्पीच दी जा सकती है ।

श्री नवल प्रभाकर : दिल्ली का यह मामला है और कभी-कभी तो बोलने का मौका मिलता है और फिर यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात है, इस वास्ते मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतना समय दे दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्पीकर साहब ने जब घंटी बजाई थी तब तो माननीय सदस्य ने कोई उज्र नहीं किया था ।

श्री नवल प्रभाकर : बीच में कुछ समय इसी तरह से चला गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : और पांच मिनट में खत्म कर दीजिये ।

श्री नवल प्रभाकर : माननीय ठाकुर दास भार्गव जी ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि अगर ३० स्टैंडर्ड एकड़ की लिमिट रख दी गई तो जो लोग इससे प्रभावित होंगे, उनका जीवन स्तर उन लोगों से भी नीचे गिर जायेगा, जोकि दलित लोग हैं, जोकि डिप्रेस्ड लोग हैं । मैं भी उस श्रेणी का ही एक व्यक्ति हूं और मैं जानता हूं कि उनकी क्या दशा है । अगर उन के पास १० स्टैंडर्ड एकड़ जमीन भी हो जाये तो वे गनीमत समझेंगे । उनकी अवस्था दयनीय है । अगर तीस स्टैंडर्ड एकड़ जमीन रखने वालों को आप इन लोगों में मिलायें तो आप ज्यादती करेंगे । हरिजनों का स्तर बहुत गिरा हुआ है और उसको ऊपर उठाने की जरूरत है । जो तथ्य है उसको आपको भुलाना नहीं चाहिए ।

आपने कम्पेंसेशन की दर ४० गुना रखी है और इस के बारे में पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा है कि यह बहुत कम है । मैं बतलाना चाहता हूं कि दिल्ली विधान सभा ने जो लैंड रिफार्म्स एक्ट पास किया था, उस की १४वीं क्लाज की, उप-क्लाज ३ और उसकी उप-क्लाज (बी) में यह कहा गया था :—

"and be liable to pay as compensation an amount equal to 20 times the land revenue".

यानी बीस गुना लैंड रेवेन्यू का मुआवजा रखा गया था । जब एक बार आप लैंड रिफार्म्स एक्ट में यह तय कर चुके हैं और जिससे जो गरीब आदमी थे वे भी प्रभावित होते थे तो यहां पर तो कोई एतराज की बात ही नहीं रह जाती है । उस में वे लोग भी आ जाते थे जिन के पास पांच एकड़ थी और जिन्होंने बटाई पर उसको दे रखा था, या टेनेंट को दे रखा था । उस अवस्था में जो उसको मुजारा काश्त करता था उससे तो उसको २० गुना ही मुआवजा मिला लेकिन यहां तो उससे कहीं अधिक मिल रहा है । जो यह कहा गया है कि सौ परसैंट मुआवजा

मिलना चाहिए इसको मैं समझ नहीं पाया हूं । बीस से चल कर आपने चालीस कर दिया बानी दुगुना कर दिया, इस में तो अन्याय की कोई बात नहीं की । जहां तक न्याय की बात है वह तो अभी भी किसी के साथ नहीं हो सकता है । यदि १,००० रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से भी दिया जाये तो वह कहेगा कि उसे ५,००० के हिसाब से दिया जाय क्योंकि यही उसकी जमीन का मूल्य है और यदि ५,००० दिया जाये तो कहेगा कि १०,००० के हिसाब से दिया जाये क्योंकि इसका यही मूल्य है । इस तरह से सन्तोष की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है ।

इन शब्दों के साथ अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो क्लाज ३६ है इस पर दुबारा गौर किया जाये क्योंकि इस में बहुत ही लचक है और इस लचक के कारण जिन लोगों के ऊपर इस विधेयक का असर होने वाला है, वे उस असर से बाहर हो जायेंगे ।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग की जो बात है वह एक अच्छी बात है और उसके सम्बन्ध में न किसी को विरोध हो सकता है और न ही होना चाहिए । यह जमाने के साथ की चीज है और एक अच्छी चीज है । लेकिन सीलिंग के सम्बन्ध में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर कि गौर होना चाहिए था और उन पर गौर नहीं हुआ है । मिसाल के तौर पर सीलिंग का प्रिंसिपल यह है कि बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जोकि अनइकोनोमिक हैं और बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जोकि लोग लिए बैठे हैं और उन से कोई फायदा नहीं उठाते हैं, और उनसे वे जमीनें ले ली जायें और भूमिहीनों में बांट दी जायें । यह सीलिंग का प्रिंसिपल है । लेकिन इस चीज पर गौर करते वक्त मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के सुपुर्द यह काम किया गया है जिन का खेती से कोई वास्ता नहीं है । मसलन् प्लैनिंग कमिशन में जिन लोगों ने सीलिंग के ऊपर गौर किया वह सभी खेती करना नहीं जानते हैं, न उन्होंने गांवों को जा कर देखा है और न खेती के उसूलों को जानते हैं । जहां तक खेती का ताल्लुक है, यह जमीनें न तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की वफादारी की वजह से जागीरों में मिली हैं और न राजाओं से फतेह की गई हैं । बल्कि यह वे जमीनें हैं जिन्हें किसानों के पूर्वजों ने अपने पैसों से खरीदा था या जिन्हें उन्होंने अपने पैसों से हासिल किया था । मैं यह नहीं कहता कि जो फालतू जमीनें उन के पास हैं वह उन के पास पड़ी रहनी चाहियें । हमारे सोशलिस्टिक समाज में जो बराबरी की बात कही जाती है या जो सोसायटी में खेतों को बराबर करने की कोशिश की जा रही है, वह न हो, यह मैं नहीं कहता । लेकिन वह विचार जरूर होना चाहिए कि उन से कितनी जमीन निकाली जाय, कितनी जमीन से एक आदमी का गुजारा हो सकता है, इस पर जरूर गौर होना चाहिए । जैसा कि प्लैनिंग कमिशन ने बताया एक आदमी की साल में ३६०० रु० की आमदनी होनी चाहिए । लेकिन ३६०० रु० सालाना की आमदनी से एक किसान का गुजारा कैसे हो सकता है ? न तो वह इस से अपने बच्चों को पढ़ा सकता है और न अपनी ही गुजर अवकात कर सकता है ।

श्री मो० ब० ठाकुर (पाटन) : पढ़ाने की जरूरत क्या है ? सब को तो नहीं पढ़ना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : पढ़ाई पढ़ाई में फर्क है । उन के लिहाज से पढ़ा सकता है ।

श्री मोहन स्वरूप : इस बात पर गौर नहीं किया गया कि किसान की आमदनी क्या होनी चाहिए और कितने से उस का गुजारा हो सकता है । जहां तक जमीन का सवाल है मैं नहीं कहता कि १०० एकड़ हो या २०० एकड़ हो, लेकिन इस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए था कि कितनी जमीन से उसका गुजारा हो सकता है ।

[श्री मोहन स्वरूप]

जहां जमीन की सीलिंग की बात होती है वहां और चीजों की सीलिंग नहीं की जाती । आज कुछ लोगों की करोड़ों रुपयों की आमदनी हो रही है, उन के कारखाने चल रहे हैं और उन से उन को नफा हो रहा है, लेकिन उन की तरफ सीलिंग का कोई सवाल पैदा नहीं किया जाता, न तो कारखाने ही नैशनलाइज किये जाते हैं न उन की आमदनी पर ही सीलिंग होती है । सिर्फ किसानों के लिए समझ लिया गया है कि समाज में वह बहुत ज्यादा मालदार हैं और सारा एक्स्प्लायटेशन किसानों के ही खिलाफ चलता है । जमींदार तो चले गये । आज यू० पी० में कुछ जागीरदार कोशिश कर रहे हैं कि उन की जमीनें वापस की जायें । अभी एक रिट फाइल हुआ है लखनऊ की बेंच में जिस में कुछ जागीरदार साहबान ने मांग की है कि उन को जमीनें ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिली थीं, इसलिए जो आज लैंड रिफार्म का बिल है वह उन की जमीन पर लागू नहीं होता । इन किसानों के पास न तो इस तरह की कोई चीज है और न वह इस तरह के हुकूक पर स्ट्रेस डालना चाहते हैं । लेकिन फिर भी वे यह जरूर चाहते हैं कि उन के गुजारे के सवाल पर जरूर गौर कर लिया जाना चाहिए । किसानों के पास सिर्फ बाजू की कुव्वत है, उन के पास हल हैं, बैल हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन के हल और बैल बेकार होते चले जा रहे हैं । किसान खेती से अनाज पैदा करता था और मुल्क को अनाज मुहैया करता था, आज उसकी तकत नहीं रह गई है कि वह लोगों को अनाज मुहैया कर सके । इस की वजह यह है कि गवर्नमेंट की पालिसी बड़ी डिलमिल है, इस पर ठीक से कोई गौर व खौज नहीं हुआ है । इसलिए मैं चाहता था कि जहां दूसरे प्राविसेज में सीलिंग के मुताल्लिक गौर हो रहा है, वहां दिल्ली में अगर इस के लिए कोई कानून बनता है तो वह माडल ला बनना चाहिए जिस से सारे हिन्दुस्तान के सूबे मुतासिर हो सकें । लेकिन मैं इस बिल में कोई नई बात नहीं पाता हूं ।

जहां तक खेती का ताल्लुक है, उस में एक बयालाजिकल ऐस्पेक्ट हुआ करता है । मान लीजिये खेती में ६ सेर गेहूं पड़ता है एक बीघा जमीन में, अगर आप उस में एक मन गेहूं डाल दें तो उस से कोई ज्यादा अनाज पैदा नहीं होगा । उसी तरह से ६ सेर के बजाय अगर आप २ सेर अनाज उस में डाल दें तो भी अनाज कम पैदा होगा । इसलिए जो बयालाजिकल ऐस्पेक्ट होता है खेती का उस पर भी गौर होना चाहिए था और सोचना चाहिए था कि किसान के लिए कितनी जमीन जरूरी है जिस से उस का किसी तरह से गुजारा हो सके ।

मैं सीलिंग के मुताल्लिक अर्ज कर रहा था यह कोई मेरी व्यूज नहीं हैं, सारे देश की व्यूज हैं और उन किसानों की व्यूज हैं जिन्होंने सब कुछ अपने खेतों में लगा दिया है, अपनी बीवी के जेवरों को लगा दिया है, अपनी जिन्दगी की सारी कमाई को लगा दिया है, उन खेतों को सरसब्ज और शादाब किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब गवर्नमेंट इस पर गौर कर रही है तो उसे इन्साफ करना चाहिए और सोचना चाहिए कि किसानों के गुजारे के लिए कितनी जमीन मुनासिब है ।

जहां तक दिल्ली के बिल का सवाल है, जो कि हमारे सामने है, अभी मैं अपने लायक दोस्त श्री नवल प्रभाकर की स्पीच सुन रहा था । बिल में जो फैमिली की डेफिनिशन है क्लाज २(डी) में, वह मेरे खयाल से कांप्रिहेंसिव नहीं है । सेलेक्ट कमेटी में मैं ने अर्ज किया था कि तमाम बेवाओं के हुकूक पर गौर नहीं किया गया है । मसलन् एक बाप है, उस की बीवी है, लड़के हैं, उस की दो विडो बहनें हैं जो उसी के परिवार के साथ रहती हैं और उन का गुजारा उसी परिवार से होता है, उन के हकूक के मुताल्लिक बिल बिल्कुल साइलेंट है । कुछ पता नहीं चलता कि उन को क्या मिलेगा, या मिलेगा भी या नहीं । हकीकत यह है कि जो लड़के नौजवान हो

चुके हैं, जिन की शादियां हो चुकी हैं, जिन के बच्चे हैं, हालांकि वे ज्वायेंट फैमिली में हैं, लेकिन अपनी तौर से उन की फैमिली अलग है। जहां तक उन के हुकूक का सवाल है, उन के मुताल्लिक भी यह बिल साइलेंट है। उन के साथ यह इन्साफ नहीं है।

इस बिल में भूमिधरी और सीर का भी कोई फर्क नहीं रक्खा गया है। जहां तक भूमिधरी जमीनों का ताल्लुक है, भूमिधरी काश्तकार को बहुत बड़े हुकूक हैं, वह जमीन को बेच सकता है, बैनामा कर सकता है, और उसका लगान भी सीर के मुकाबले में आधा होता है। भूमिधर को कितनी जमीन मिलनी चाहिये और सीरदार काश्तकार, जिस को हक हासिल नहीं है, उस को कितनी जमीन मिलनी चाहिये, इस बारे में भी इस बिल में कुछ नहीं बताया गया।

जैसा अभी बताया गया जमीनों के ६ क्लासिफिकेशन किये गये हैं। लेकिन उसी के साथ साथ दिल्ली में कुछ जमीन ऐसी है जो पथरीली है, कुछ कंकरीली है जहां पर खेती बहुत कम होती है, कुछ जमीनें ऐसी हैं जो दुमट हैं, कुछ दलदल हैं, उन जमीनों के मुताल्लिक कुछ नहीं बताया गया। जैसा प्रभाकर साहब ने कहा कि कितनी जमीन होगी, कितनी कंकरीली जमीन है, कितनी पथरीली जमीन है, कितनी ऐसी जमीन है जिस पर आबपाशी नहीं है, यह सब सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। इन जमीनों में क्या फर्क है, इस के मुताल्लिक इस बिल में कुछ नहीं कहा गया है। इस की और वजाहत होनी चाहियें। इस के साथ-साथ जमीनों की लगानों में भी फर्क होता है। मैं नहीं जानता कि दिल्ली की जमीनों पर लगान लेने का तरीका क्या है, लेकिन यू० पी० के बारे में मैं जानता हूं कि कुछ जमीनें ऐसी हैं जो १ रु० बीघा हैं, कुछ ऐसी हैं जो १२ आ० बीघा है और कुछ ऐसी हैं जो ८ आ० बीघा है।

श्री च० कृ० नायर (बाह्य दिल्ली): यहां भी ऐसा ही है।

श्री मोहन स्वरूप: मैं समझता हूं कि दिल्ली की लगानों में भी फर्क होगा। यू० पी० का जो बिल है उस में लगान के मुताल्लिक वाजह शक्ल पेश की गई है। उस में बताया गया है कि किसी जमीन की लगान ५ रु० एकड़ या उस से कम हो और किसी जमीन की लगान १० रु० एकड़ या उस से ज्यादा हो, तो ५ रु० एकड़ वाली जमीन जो होगी वह १० रु० एकड़ वाली जमीन से डबल मानी जायेगी। उस में यह फर्क रक्खा गया है। वहां पर जिस जमीन की लगान कम है वह ज्यादा मिलती है और जिस जमीन की लगान ज्यादा है वह कम मिलती है। दिल्ली लैंड सीलिंग के बारे में इस तरह की कोई बात पेश नहीं की गई है, इस की वजाहत होनी चाहिये।

इसी के साथ-साथ यह जो चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऐडीमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं और सारी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उन पर आधारित है यह सही है लेकिन उन को बहुत हुकूक दे दिये गये हैं, बहुत वसीह, डिस्क्रेशनरी पावर्स दे दी गई हैं जो कि कुछ मुनासिब नहीं मालूम पड़ती हैं। सैक्शन २६ और २७ में उन के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वे जिस जमीन को चाहें उसको सैक्शन ३ के औपरेशन से मुस्तस्ना कर सकते हैं। चीफ कमिश्नर को यह पावर दी गई है कि वह जिस जमीन को चाहे मुस्तस्ना कर दे और जिस जमीन को चाहे मुस्तस्ना न करे। चाहे कुछ भी डिक्लेयर कर दे। बिल में चीफ कमिश्नर को इस तरह की जो डिस्क्रेशनरी पावर्स दी गई हैं वह नहीं होनी चाहिएं। कानून तो एक वाजह चीज हुआ करता है और उस में जो भी प्राविजन्स होते हैं वह

[श्री मोहन स्वरूप]

बहुत साफ होते हैं । लेकिन यह जो गोलमाल अल्फाज हैं उस के और जिस तरह की चीज है वह कुछ मुनासिब नहीं मालूम होती है । मैं चाहता था कि यह जो प्राविजंस हैं इस तरह के वे नहीं होने चाहिये थे । चीफ कमिश्नर को हकूक इस तरह के दिये गये गये हैं वह मुनासिब नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से दोस्तों ने कम्पेंसेशन के मुताल्लिक यह कहा कि वह कम है । जहां तक मुआविजे का सवाल है तो यह तो जमींदारियां खत्म हुई, आखिर बड़े बड़े राज्य खत्म हुए तो उसका उनको क्या मुआविजा मिला ? मैं समझता हूं कि जहां मुल्क में भूमिहीन लोगों को जमीन देने का सवाल है, या जहां ऐसी व्यवस्था हो रही है कि फालतू जमीनें जिन लोगों के पास पड़ी हैं वे फालतू जमीनें उन के हाथ से निकल जांय और ऐसे लोगों को जिनके कि पास जमीन नहीं है, उनको वह मिल रही हों तो मैं समझता हूं कि यह कम या ज्यादा कम्पेंसेशन का सवाल उठाना, यह कोई ऐसी अहम बात नहीं है ।

ज्वाएंट कमेटी में मुआविजे के मुताल्लिक गौर हुआ था । उस में बहुत से शेडयूल्स दिये गये लेकिन आखिर में ४० गुने का असूल जो माना गया वह बाद में तय हुआ । मैं समझता हूं कि हालांकि जमीन बहुत अधिक मंहगी है, जमीन १०० रुपये पर एकड़ या २०० रुपया पर एकड़ है और मझे ठीक से पता नहीं लेकिन मेरा खयाल है कि दिल्ली में तो जमीन उत्तर प्रदेश की अपेक्षा अधिक मंहगी होगी . . .

श्री ब्रज राज सिंह : दिल्ली में तो रेट २००० रुपये प्रति एकड़ का है ।

श्री मोहन स्वरूप : जी हां दिल्ली में २००० रुपये एकड़ होगा । अब यह मुआविजे की दर जो ४० गुना रक्खी गई है तो मुझे उसमें कोई ऐतराज तो नहीं है लेकिन वह कम जरूर है । मैं यह अवश्य कहूंगा कि वह कम है और दिल्ली के लिए जहां कि इतनी ज्यादा महंगी जमीन मिलती हो, वहां इसको कुछ और बढ़ा कर रखना चाहिए था ।

मेरा समय अब समाप्त हो गया है इसलिये और अधिक न कह कर अन्त में यही कहना चाहूंगा कि यह जो बिल हमारे सामने है उसमें मुनासिब तरमीम करके उसे एक मौडेल कानून की शक्ल में पेश किया जाय ताकि वह दिल्ली में ही नहीं बल्कि सारे देश के लिये एक नमूना बन सके ।

श्री ब्रज राज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि इस बिल का उद्देश्य भूमिहीनों . .

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): What is the time allotted.....

Mr. Deputy-Speaker: What was the question?

Shri D. C. Sharma: What is the time allotted for clauses?

Mr. Deputy-Speaker: That is for the hon. Members to decide. If they want me to put a time limit or advise that I can do that. I may add that, perhaps, out of the 3 Bills this is the first one and even if we take a longer time here, others will not take the same time because most of the Members who are desirous must have spoken on this. That is why I do not want to put any limit. Each of these Bills has been allotted 3 hours and so 9 hours are there; and we will be able to finish them comfortably, I suppose.

Shri Supakar (Sambalpur): Probably, Shri Sharma will speak on this.

Mr. Deputy-Speaker: He has indirectly given me an indication that he wants to speak.

श्री ब्रजराज सिंह : बिल का उद्देश्य भूमिहीनों में जमीनों का वितरण करना

बतलाया गया है । एक खास उद्देश्य को लेकर यह विधेयक बनाया जा रहा है ऐसा कहा जाता है और उस उद्देश्य में से एक उद्देश्य यह बतलाया जाता है कि जो भूमिहीन हैं उन्हें भूमि मिलनी चाहिये । जहां तक इस उद्देश्य का प्रश्न है एक बहुत ही सुन्दर उद्देश्य है लेकिन इस विधेयक में शुरू से लेकर आखिर तक अगर हम पढ़ जांय तो कहीं पता नहीं लगेगा कि कहीं भी भूमिहीनों को भूमि दिलाने की कोई व्यवस्था की जा रही है । पहले तो यह कि जो अधिक जमीन मिलेगी उस जमीन को न तो पंचायत में निहित किया जा रहा है न कोई व्यवस्था बिल में यह की जा रही है कि वह जमीन जो कि सरप्लस भूमि होगी, फालतू और अधिक भूमि होगी वह किन्हीं भूमिहीनों को दी जायेंगी । व्यवस्था यह की जा रही है कि वह जमीन राज्य में निहित हो जायगी, स्टेट में वैस्ट हो जायगी और फिर राज्य उसका क्या करेगा इसके बारे में यह धारा १५ में कहा गया है :

"The Chief Commissioner may reserve any excess land vesting in the Government under the provisions of this Act for the benefit of the village community or for any work of public utility or for such other purposes as may be prescribed."

अब एक दूसरा जहां तक कि गांव की जनता के भले के लिये मुनासिब भूमि को रखने का प्रश्न है यह कुछ अच्छा मालूम पड़ता है लेकिन जो दूसरा काम है पबलिक युटिलिटी का तो वह इतना गोल मटोल है कि कुछ भी किया जा सकता है और मुझे लगता यह है कि अभी जो मंत्री महोदय ने बतलाया कि १७०० एकड़ जमीन इस कानून के पास होने के बाद हमें मिल सकेगी इस १७०० एकड़ जमीन को यह इसी काम में लाया जायगा पबलिक युटिलिटी का नाम बता कर उसको वे वास्तव में दिल्ली के विस्तार के लिए प्रयोग में ले आयेंगे । अगर यह उद्देश्य पूरा होता कि भमिहीनों को हम जमीन दे सकते तो इस से अच्छी कोई बात नहीं थी । इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर और यह ध्यान में रख कर कि यह सारे देश के लिये एक आदर्श बिल होगा प्रमुखत: यह बिल बनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह बिल लाया जा रहा है उसका कहीं भी ध्यान इस बिल में नहीं रक्खा जा रहा है ? तब फिर हम क्या करना चाहते थे ? एक तो यह प्रश्न है कि सिर्फ दिल्ली में जहां पर कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा एक विशेष परिस्थिति है, जहां पर कि विस्तार के कारण भूमि की कीमतें दूसरे राज्यों से अधिक हो गयी हैं । दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है और इसका विस्तार बहुत अधिक हो रहा है तो उसके लिये कोई हमें विशेष व्यवस्थाएं करनी चाहियें या नहीं । लेकिन जो कुछ भी इसमें व्यवस्था की जा रही है उसमें मुझे यह लगता है कि एक एकड़ जमीन भी आप भूमिहीनों को नहीं दे पायेंगे । इस १७०० एकड़ भूमि की बात आती है लेकिन यह १७०० एकड़ कब मिल सकेगी इसके लिये अगर हम धारा २६ को देखें तो उससे बहुत ही आश्चर्यजनक बात मालूम पड़ती है । उसमें और सब बातों के अलावा एक बात कही गई है । उसके क्लाज १३ में यह दिया हुआ है :

"Any specialised farm which is being used for cattle breeding, dairy or wool raising".

14 hrs.

आश्चर्य की बात यह है कि यह नहीं कहा गया है कि इस एक्ट के लागू होने के पहले कहीं फार्म बना हो बल्कि ऐसा लगता है और शायद विधेयक बनाने वालों की इच्छा यह है कि यह फार्म कभी भी बनाया जाय तो उस के लिए चीफ़ कमिश्नर जो है वह यह इजाजत दे सकता है । सम्भवत: मिनिस्टर महोदय की

[श्री बज राज सिंह]

तरफ़ से यह कहा जाय कि धारा २६ में पहले ही यह कहा गया है कि यह ऐक्ट लागू होने के तीन महीने के अन्दर इस तरह की दरख्वास्त दी जा सकती है लेकिन उसमें आगे चलकर यह कह दिया गया है कि अगर कोई विशेष कारण हो तो वह तीन महीने के बाद भी दरख्वास्त दे सकता है। आप एक ऐसी छूट दे रहे हैं कि जिस से यह १७०० एकड़ जमीन पूरी की पूरी इसी में लग जायगी। किसी में तो यह डेरी फ़ार्म खोला जायगा तो किसी में यह ऊन पैदा करने का फ़ार्म खोला जायगा और किसी में कैटिल ब्रीडिंग के लिए या जानवरों के विकास के वास्ते कोई फ़ार्म बनाया जायगा। यदि आप की इच्छा इस कानून को ठीक तरह से लागू करने की है तब तो आपको जैसा कि इसमें कहा गया है कि एक खास तारीख के बाद की जमीनें अगर कोई बेच दी गई हों, या उन को ट्रान्सफ़र कर दिया गया हो चीफ़ कमिश्नर ट्रान्सफ़री को दरख्वास्त देने पर सैक्शन ३ और सैक्शन १२ के ओपरेशन से एग्ज़म्पट कर सकता है। उन पर पहले निर्णय का ध्यान रक्खा जायगा। उसी तरह इसमें भी रखना चाहिये लेकिन यहां पर इस की कोई व्यवस्था नहीं है और वह भी पार्लियामेंट को यह अधिकार नहीं है। यह अधिकार दिया जा रहा है चीफ़ कमिश्नर को कि अगर चीफ़ कमिश्नर यह मुनासिब समझे तो किसी डेरी फ़ार्म, किसी वूल रेजिंग फ़ार्म का या किसी कैटिल ब्रीडिंग फ़ार्म को एग्ज़म्पट कर सकता है और उसके ऊपर यह लागू नहीं होगा। मुझे भय है कि अगर हम इसमें इस तरह की व्यवस्था रखते हैं तो जो १७००एकड़ जमीन मिलने की बात कही जाती है वह हमको नहीं मिलेगी। ऐक्ट पास होने के बाद भी लोग ऐसे फ़ार्म बनालेंगे। वह चीफ़ कमिश्नर के यहां जाकर दरख्वास्त देंगे और एग्ज़म्पशन ले लेंगे और इस तरह से आपको कोई जमीन नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर आपको कोई जमीन मिल भी जाती है, तो आपने दूसरा अपवाद दिया है और वह यह है कि अगर कहीं पर हैवी इनवेस्टमेंट हो जाए या परमानेंट स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट हो जाए तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। इसकी क्या परिभाषा है। इसके लिए भी आप चीफ़ कमिश्नर को डिस्क्रीशन दे रहे है। इसलिए जिन लोगों की वहां तक पहुंच होगी वह अपनी अपनी माफ़ करा लेंगे।

इसी तरह से क्लाज २६ के सब क्लाज डी में यह दिया गया है :

'any land held by a body notified by the Chief Commissioner under section 33 of the Delhi Land Reforms Act'.

उस पर भी यह लागू नहीं होगा। और जहां तक पबलिक परपज का सवाल है, अभी जो हैल्थ मिनिस्ट्री की तरफ़ से यहां टाउन प्लानिंग के लिए ३४००० एकड़ जमीन नोटीफ़ाई की गयी है, उस ज़मीन पर भी शायद यह लागू नहीं होगा आपकी व्यवस्था के मुताबिक। इस ज़मीन में अगर कोई ऐसे काश्तकार आते हैं कि जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा ज़मीन है तो उन पर भी यह लागू नहीं होगा। हिसाब लगाया गया है कि इस कानून का १५५ आदमियों पर प्रभाव पड़ेगा और हमको १७०० एकड़ जमीन मिलेगी, तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस तरह से होगा। जिन लोगों के पास साधन हैं उन पर यह लागू नहीं हो सकेगा। आपने चीफ़ कमिश्नर को जगह जगह यह अधिकार दिया है कि वह इसको भी एग्ज़ेम्प्ट कर सकेंगे, और उसको भी एग्ज़ेम्प्ट कर सकेंगे। ऐसी दशा में जिस न्याय की आशा इस सदन से की जाती है वह नहीं मिल पाएगी।

इसके अलावा आपने यह कहीं भी इस कानून में नहीं लिखा है कि इस तरह से जो ज़मीन आपको मिलेगी इसका आप क्या करने जा रहे है। दफ़ा १६ के अन्दर लिखा है :

"Allotment of excess land: Subject to any rules that may be

made in this behalf, the Chief Commissioner or any officer authorised by him may allot any excess land vesting in the Government (other than land reserved under section 15) to such persons and on such terms and conditions as he thinks fit".

यहां पर भी यह नहीं है कि जो जमीन हमें मिलेगी उस जमीन को हम भूमिहीनों को देना चाहते हैं। इसमें भी यह अधिकार चीफ़ कमिश्नर को, या किसी दूसरे अफ़सर को जिसे वह मुकर्रर कर दे, दिया गया है कि वह जिसको ठीक समझेंगे देंगे।

और क्लाज १५ के अन्दर यह कहा गया है :

"Reservation of land for certain purposes".

इसमें पबलिक यूटिलिटी का परपज दिया गया है। जो जमीन अधिक मिलेगी उसे जनहित के कार्य के लिए संरक्षित कर सकते हैं। अब जनहित का कार्य कौनसा है ? सबही जानते हैं कि दिल्ली का विस्तार हो रहा है। यह अनुमान लगाया जाता है कि बीस साल में इसकी आबादी ४५ लाख हो जाएगी। अभी दिल्ली की आबादी २५ लाख अनुमान की जाती है। तो बीस साल में इस बीस लाख बढ़ी हुई आबादी के लिए मकान चाहिएं, मुझे लगता है कि हम शहरीकरण की तरफ़ बढ़ रहे हैं और देहातों को नष्ट करने की साजिश मालूम होती है क्योंकि इसमें आप ने भूमिहीनों के लिए कुछ नहीं रखा है। जो जो जमीन आप एक्वायर करेंगे वह जमीन जनहित के कार्य के लिए रख ली जाएगी और जनहित का कार्य है शहर का विस्तार। इसके लिए जमीन चाहिए, मकान बनाने के लिए, तो फिर आप उन लोगों को यह जमीन देंगे मकान बनाएंगे। कम से कम भूमिहीनों को तो इसमें से जमीन मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैं इस व्यवस्था के खिलाफ़ अपना विरोध प्रकट करता हूं। इसका मतलब यह है कि जब आप इस तरह के कानून बनाएंगे तो हिन्दुस्तान में जो २७ प्रतिशत भूमिहीन हैं उनको भूमि देने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। इस तरह से सीमा बांधने से जमीन आपको मिलेगी वह भूमिहीनों के पास नहीं जाएगी। इसका नतीजा यह होगा कि दिल्ली में जो जमीन आपको मिलेगी वह दिल्ली के विस्तार के लिए दे दी जाएगी और जो दूसरी जगहों पर मिलेगी वह इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर और फ़ैक्टरियां स्थापित करने के लिए लोगों को जमीन देंगे और कहेंगे कि यह जनहित के लिए है। आखिर जनहित क्या है ? देश का औद्योगिकरण एक जनहित का काम हो सकता है। केवल खेती की जमीन ही जनहित के लिए आप रखना चाहते हैं। और देहात की जमीन पर ही सीमा लगाना चाहते हैं। अगर सीमा लगानी है तो उन लोगों पर भी लगायी जाए जो शहर में बसते है, जो उद्योग करते हैं। उनकी आमदनी पर भी कोई सीमा लगाइए। बार बार सदन में इसकी मांग की जाती है। सिर्फ़ खेती की जमीन की ही सीमा क्यों बांधी जाती है। आप देश में कोई भी कानून अलग से नहीं बना सकते। जो समाज की स्थिति है उसके मुताबिक ही आप कानून ला सकते हैं। यहां बार बार कहा जाता है कि शहर के लोगों की और जो उद्योग में लगे हैं उनकी आमदनी की भी कोई सीमा होनी चाहिये। जब तक हम सारे समाज की आमदनी की सीमा नहीं बांधते और एक ही वर्ग की आमदनी की सीमा बांधते हैं, तब तक हम समाज का विकास नहीं कर सकते। दिल्ली में हम देखते हैं कि एक तरफ़ दस दस मंजिले मकान बन रहे हैं और उनके लिए योजना है, और दूसरी तरफ़ उन लोगों को कोई जमीन देने की व्यवस्था नहीं है कि जिनके पास अपनी झोंपड़ी भी नहीं है। इस तरह से समाजवादी समाज कायम करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून में बहुत ही आमूलचूल

[श्री ब्रज राज सिंह]

परिवर्तन करने की जरूरत है । एक तो इस में यह व्यवस्था होनी चहिए कि जो जमीन सीलिंग के बाद मिलेगी वह जमीन और किसी काम के लिए नहीं जाएगी, वह भूमिहीनों के लिए जाएगी । मैं मानता हूं कि सब भूमिहीनों को हम जमीन नहीं दे सकेंगे लेकिन कुछ को तो हम दे सकते हैं । कानून कुछ इस तरह का बनाइये कि जिसके पास कम से कम जमीन है या जिसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है उसको दी जाएगी । यह व्यवस्था तो अवश्य होनी चाहिए कि जो भी जमीन मिलेगी वह भूमिहीनों को दी जाएगी, दूसरे कामों में नहीं ली जाएगी । लेकिन जो एग्जेम्प्शन आप ने दिए हैं उनसे मालूम होता है कि आप यह जमीन उन लोगों को देना चाहते हैं जो शहर का विकास करेंगे, या जो कैटिल ब्रीडिंग और वूल रेजिंग वगैरह करेंगे । ये काम खेती से सम्बन्ध नहीं रखते हैं । शहर के विकास का खेती से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता ।

इसके अलावा इस में यह रखा गया है कि यह कानून उन जमीनों पर लागू नहीं होगा जो कि पहले नोटीफ़ाइड एरिया में थीं या म्युनिसिपलिटी में थीं या कैंटोनमेंट एरिया में थीं । आखिर इसके पीछे कौनसी भावना है ?उत्तर प्रदेश में दिहात में जमीनदारी तोड़ी गयी, लेकिन वहां अभी भी शहरों में जमीनदारी कायम है । यह कौनसा न्याय है । अगर कोई विकास का काम करना हो, कोई स्कूल कालिज बनाना हो, अस्पताल बनाना हो तो कहा जाता है कि इसको पहले शहरों में बनाया जाए, लेकिन अगर कोई तोड़ने का काम होता है तो उसकी व्यवस्था सबसे पहले देहात में कर दी जाती है । अगर आप को इस कानून का उद्देश्य पूरा करना है तो तभी हो सकता है जब कि यह कानून उन सब जमीनों पर लागू हो जो कि नोटीफ़ाइड एरिया में, या म्युनिसिपैलिटी में या कैंटोनमेंट में हो । यह नहीं होना चाहिए कि यह कानून उस जमीन पर लागू नहीं होगा जो कि नोटिफ़ाइड एरिया, म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट में है केवल उस जमीन पर लागू होगा जो कि खेती की जमीन है । इसलिए अगर आप केवल गांवों के लोगों की आमदनी की सीमा बांध रहे हैं तो यह न्याय नहीं है और आगे चल कर यह देश की प्रगति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है ।

फिर प्रश्न आता है मुआवजे का । इसके लिए कोई सिद्धान्त होना चाहिए । हमने जमीनदारी तोड़ी और उसके लिए मुआवजा दिया । लेकिन इस जमीन के बारे में मुआवजा देते वक्त हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह जमीदार की जमीन नहीं है, किसान की जमीन है इस जमीन का उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए । जहां तक उद्योगों का सवाल है जिस उद्योग में पांच लाख तक की पूंजी लगी होती है उसको आप छोटा उद्योग मानते हैं, लेकिन अगर किसी किसान के पास ३५ एकड़ भूमि भी है तो उससे पांच एकड़ भूमि लेना चाहते हैं । उसकी जमीन दो ढाई हजार प्रति एकड़ के हिसाब से बिक सकती है लेकिन आप उसको मुआवजे में चालीस रुपया, पचास रुपया या ज्यादा से ज्यादा १०० रुपया प्रति एकड़ देना चाहते हैं । इस कानून में हम यह अन्यायपूर्ण चीज देखते हैं । मैं मानता हूं कि जो बड़े लोग हैं उनके लिए मुआवजे की बात नहीं होनी चाहिए । जब आप इम्पीरियल बैंक को नैशनलाइज करना चाहते हैं तो उसके शेयरों को आप बाजार भाव पर लेते हैं और दूसरे उद्योग जिनका आप राष्ट्रीयकरण करते हैं उनका मूल्य आप बाजार भाव पर देते हैं, लेकिन जब खेती की जमीन का सवाल आता है तो उसको बाजार भाव पर मुआवजा नहीं दिया जाता । जहां तक जमीदारियों का सवाल है उनके लिए आप यह सिद्धान्त रखें,

उद्योगों के लिए आप यह सिद्धान्त रखें, लेकिन जहां छोटे उद्योगों का प्रश्न है वहां पर यह सिद्धान्त लागू करना मुनासिब नहीं होगा। मैं यह कहूंगा कि इस बिल का जो उद्देश्य है, वह इस तरह की व्यवस्था से पूरा होने वाला नहीं है ।

जहां तक स्टैंडर्ड एकड़ का सम्बन्ध हैं, किसी दूसरे कानून में उस की जो परिभाषा की गई है, उस को इस बिल में लागू किया जा रहा है। जिस परिस्थिति में यह सदन इस बिल पर विचार कर रहा है, उस में उस को इस बात का भी अधिकार है कि स्टैंडर्ड एकड़ की परिभाषा पर भी विचार करे। स्टैंडर्ड एकड़ के विषय को हमारे सामने न लाकर एक ग़लत काम किया जा रहा है। सदन के सामने स्टैंडर्ड एकड़ की परिभाषा रखी जानी चाहिए थी और अगर आवश्यकता होती, तो उस परिभाषा में परिवर्तन भी किया जाता। कम से कम यह सदन उस पर विचार तो करता। दूसरी परिभाषा को इस बिल के सम्बन्ध में भी लागू कर देना उचित नहीं है।

जब वह कानून बन रहा है और देश के लिए एक आदर्श के रूप में बन रहा है, तो हम एक मुख्य उद्देश्य यह रखें कि जो एक्सेस लैंड मिलेगी, वह हमेशा उन लोगों को दी जायगी, जो खेती से सम्बन्धित हैं—वह भूमिहीन लोगों को दी जायगी। अगर दिल्ली में भूमिहीनों को ज़मीन नहीं मिलेगी, तो फिर सारे देश में भी उन को ज़मीन नहीं मिलेगी। अगर उस ज़मीन को दिल्ली नगर के विस्तार के काम में प्रयुक्त किया गया, तो फिर देश के और हिस्सों में ऐसी ज़मीन को औद्योगिक विस्तार आदि के लिए काम में लाया जायगा और इस का परिणाम यह होगा कि खेती की पैदावार बढ़ाने का हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा ।

दफा २६ में कुछ अपवाद रखे गये हैं। अगर उन अपवादों को खत्म नहीं किया गया, तो फिर सरकार को एक एकड़ ज़मीन भी नहीं मिलेगी। चीफ़ कमिश्नर से जिन लोगों के कुछ ताल्लुकात हो सकते हैं, या जिन की पहुंच हो सकती है, वे किसी न किसी अपवाद में आ जायेंगे। वे अपने फ़ार्म कायम करेंगे इस प्रकार के दूसरे काम करेंगे। हमारा जो उद्देश्य हैं, वह पूरा नहीं होगा। सिलेक्ट कमेटी में तो मिनिस्टर महोदय ने इन सब सुझावों को मंजूर नहीं किया। मैं आशा करता हूं कि इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अब वह इन को मंजूर करने का प्रयत्न करेंगे, जिस से ऐसा कानून बन सके, जो कि देश के लिए आदर्श हो सके ।

Shri Raghubir Sahai (Budaun): Mr. Deputy-Speaker, Sir, admittedly, after the elucidation that has been given by the hon. Minister, this Act will apply only to about 155 tenants and to about 1700 acres of land, which means its application would be of a very limited character. But, as has been admitted by every one of the Members who have spoken, it involves fundamental principles and, therefore, it deserves the consideration of this House.

Sir, I may say, at the very beginning, that I have not been able to create any enthusiasm in me for this matter of ceilings, but that does not mean that I am in any way opposed to the imposition of ceilings in any shape or form because I attach greater importance to co-operative and joint farming, and if by adoption of this Bill or Act, co-operative farming can be furthered, I would welcome this Bill.

An Hon. Member: Back door tactics.

Shri Raghubir Sahai: So far the limit of holdings is concerned, I find from the provisions of this Bill that they have laid down 30 standard acres in the case of a family and where the family members exceed the limit of five they have made a provision that in the case of every

[Shri Raghubir Sahai]

additional member another five acres would be allotted to him provided the maximum limit does not exceed 60 acres. I suppose that this limit would be very reasonable and it should satisfy, ordinarily, the requirements of an average family in the village.

But I realise that there are difficulties in the matter of "standard acre". Some elucidation has been given by the hon. Minister himself, and the learned Speaker, at that time, when he was in the Chair, also put certain questions to the hon. Minister. Even after that elucidation, some more clarification would be required. I suppose, if the limit had been put in the shape of ordinary acres that would have been much better.

Sir, so far as the method of taking over excess land that is prescribed is concerned, I feel that it is also a somewhat cumbrous and complicated procedure. For instance, if we turn to clause 7 of the Bill we find that towards the end it is said:

> "....the excess land to be determined under section 6 shall be selected out of the lands held at the commencement of this Act by the transferor and the transferee in the same proportion as the land held by the transferor bears to the land transferred and where no land is held by the transferor, out of the land transferred."

Now, this is a very complicated provision. In my own humble opinion, a rigid date should have been fixed whereafter any transaction that has taken place should be held to be null and void, because I feel that in the report of the Committee of the Panel of Land Reforms some such thing has been very clearly laid down. I would invite your attention, Sir, to page 103 of the report where it is said:

> "We would, therefore, recommend that any transfer or lease made after a given date should be disregarded in determining the surplus area."

They do not make a provision whether the surplus land or any portion of it has been transferred by a registered deed, because that would also create difficulties. That condition should not have been laid down, and I think this submission that I have made would be considered by the hon. Minister.

So far as the compensation laid down in the Bill is concerned, it is proposed, I find, that the compensation would be paid in cash in a lump sum or in instalments or in bonds. I do not think that the rate of compensation is unreasonable, but I do feel that whatever compensation is determined should be paid in a lump sum. We, who come from Uttar Pradesh have had a very regrettable experience of the zamindari bonds there. We have reconciled ourselves to the abolition of zamindari, but certainly people there are not reconciled to the giving of bonds that have got a life of 40 years and the instalments are being paid in driblets. The fact of the matter is that in U.P. people are parting with their zamindari bonds because they are disgusted with them. I do not wish that the same sort of experience or experiment should be repeated in Delhi. Whatever you decide to give them, well, pay them in a lump sum so that they may feel satisfied.

With regard to the utilisation of the surplus land, I have got one humble suggestion to make. Certainly, the Panel on Land Reforms have made their own suggestions. But, as I said in the beginning, I lay great stress on and attach great importance to co-operative farming. When we take away some land in Delhi by introducing this Bill, or the provisions of this Act, why not apply all that area to cooperative farming? Again, in this report of the Panel on Land Reforms,

I find that they have made a reference to the effect:

> "We are informed that the Committee on problems of reorganisation has taken the view that the surplus should be settled on co-operative basis."

I would like to invite the attention of the hon. Minister to the fact that this surplus, whatever it may be, either 1600 acres or 2000 acres or less than that, should be made use of on this co-operative basis. This is what I have to submit on this Bill. Otherwise, I support it.

Several Hon. Members *rose*—

Mr. Deputy-Speaker: This Bill has to be concluded on a subsequent day which might come after a very long time. So, only those hon. Members should speak now who can either finish by 2-30 or might be sure of resuming speech on the next occasion. Can Lala Achint Ram do that?

Shri Achint Ram (Patiala): Sir, I will take only two minutes.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन हैं, उन से इस वास्ते क्या जमीन ली जा रही है कि उन के पास इतनी अधिक जमीन का रहना बुरा मालूम पड़ता है या इसके पीछे कोई मकसद है ? किसी के पास ५० एकड़ या सौ एकड़ है उससे तीस एकड़ से अधिक जितनी जमीन ली जा रही है वह इसलिए ली जा रही है कि इतनी अधिक जमीन उसके पास रहना बुरा मालूम होता है या इसके पीछे कोई मकसद हैं ? मैं समझता हूं कि पेश्तर इस कि कोई सीलिंग मुकर्रर हो, जो मकसद है वह साफ होना चाहिए ।

जहां तक मैं समझ पाया हूं इस में यह लिखा है कि जो सरप्लस लैंड हैं उसको ले लिया जाये और डिजविंग आदमियों में बांट दिया जाये । इस में भी यह देखना बहुत जरूरी है कि डिजविंग लोग हैं कौन ? जब यह पता चल जाये कि पचास आदमी रोटी खाने वाले हैं और हमारे पास चार सौ रोटियां हैं तो उनके बीच चार चार रोटियां बांट दी जा सकती हैं और अगर ४०० आदमी रोटी खाने वाले हैं तो एक एक रोटी बांट दी जा सकती है । इस वास्ते यह जानना जरूरी था कि दिल्ली के अन्दर कितने आदमी हैं जो डिजविंग हैं, कितनी लैंड की जरूरत है । जहां तक मैं समझा हूं हमें दो तरह के कामों के लिए जमीन की जरूरत है । एक तो काश्त करने के लिए और दूसरे मकान बनाने के लिए । गांवों के अन्दर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि हाउसलेस हैं और जो मकान बनने हैं वे जमीन पर ही बनने हैं । इसलिए मकानों के लिए जमीन की जरूरत है । इस वास्ते उस जरूरत का भी अंदाजा लगाया जाना चाहिए था कि कितने आदमी हाउसलैस हैं और उन के वास्ते कितनी जमीन की जरूरत हैं । इसके अलावा यह भी देखा जाना चाहिए था कि कितने आदमी दिल्ली में ऐसे हैं जिन की गुजर जमीन पर है और उन के लिए कितनी जमीन की जरूरत है । मैं यह नहीं कहता कि आप इसका अंदाजा लगाते कि जो दुकानदार हैं या जो दूसरे काम करते हैं उन के लिए कितनी जमीन चाहिए, मकानों के लिए या दूसरे कामों के लिए लेकिन मैं यह कहता हूं कि जिन का गुजर जमीन पर हैं लेकिन जमीन उन के पास नहीं है उनकी तादाद कितनी है और उन को कितनी जमीन चाहिए । इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि पेश्तर इसके कि सीलिंग मुकर्रर की जाये जैसे तीस एकड़ की गई है हमें यह देखना चाहिए था कि कितने आदमी जमीन के बगैर है, कितने आदमी मकानों के बगैर हैं और उस के बाद देखा जाता कि उस काम के लिए कितनी जमीन की जरूरत है और मिनिमम जमीन कितनी दी जावे लैंडलेस को जिससे वे अपना काम चला सकें । पांच एकड़ दी जावे, दस एकड़ दी जावे या बारह एकड़ दी जावे । इस बात का पता लगा लेने के बाद सीलिंग मुकर्रर

[श्री अचिंत राम]

की जानी चाहिए थी चाहे वह २० एकड़ होती, २५ एकड़ होती या ४० एकड़ होती। इसलिए मैं समझता हूं कि जिस तरह इस बिल को पाइलट किया जा रहा है, वह बुनियादी तौर से गलत चीज है। मैं सिलैक्ट कमेटी का मेम्बर नहीं था और उस कमेटी को इस बुनियादी चीज को देखना चाहिए था . . . .

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : जमीन को ही या धन को भी बांटा जाये ?

श्री अचित राम : आपने बड़े मौके से यह बात कही है और अगर आपने वह बात न कही होती तो शायद मैं इस को भूल जाता। जमीन को ही नहीं मैं तो इस हक में भी हूं कि धन को भी बांटा जाये। उसके लिए भी . . . (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी धन बांटा नहीं जाने लगा है कि झगड़ा हो।

श्री अचित राम : अभी तो मैं चूंकि जमीन का मामला आया है इसलिए सलाह दे रहा हूं, जब धन का आयेगा, तो उस वक्त भी अपनी राय दूंगा। मैं चाहता हूं जैसे यह बिल लाया गया है वैसे ही वह बिल भी लाया जाये।

मैं यह कह रहा था कि इस मसले की बुनियाद में नहीं पहुंचा गया है। यह तो ऐसे ही है जैसे पुटिंग कार्ट बिफोर दी हार्स। मैं समझता हूं पहले यह देखा जाना चाहिए था कि मकानों के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता है और कास्त के लिए कितनी की आवश्यकता है और उसके बाद सीलिंग मुकर्रर की जानी चाहिए थी। इतना ही मुझे अर्ज करना था।

Mr. Deputy-Speaker: Shri Radha Raman, Shri C. K. Nair and Shri D. C. Sharma may reserve themselves for the next day.

Shri Rami Reddy (Cuddapah): My name may also be noted for the next time.

Shri M. C. Jain: My name also.

Shri P. R. Patel: Mr. Deputy-Speaker, Sir, in regard to the question of putting a ceiling on the land, I would like to put a question to the hon. Minister. The ceiling is 30 acres and the income, according to the Planning Commission, will be Rs. 3,600. I doubt even that. The Planning Commission considers that there is 50 per cent. net profit in the agricultural profession. I think those who are engaged in agriculture will agree that agriculture is a losing concern and not an earning concern. Everybody engaged in agriculture will find that the position remains the same; one year a good year, second year a bad year, third year the same thing and the position remains the same.

Now, we have accepted democracy and in democracy representatives elected by the people will guide the country. We know our own experience. Those who have been elected to this hon. House have experience of what money they have to spend. I think the hon. Minister also during his election must have toured miles and miles and must have spent thousands of rupees. No doubt, there was the Congress backing and the Congress had a large fund of Rs. 3 crores, and the Congress could also finance them. That is a different question.

Mr. Deputy-Speaker: Has the hon. Member kept the accounts of the Congress?

Shri P. R. Patel: The whole country knows that the Congress spent Rs. 3 crores or so.

Shri Raghunath Singh: And what were the expenses incurred by my hon. friend?

An Hon. Member: Rs. 2,000.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): Sir,

the hon. Member has been making allegations which are not true.

Mr. Deputy-Speaker: I have told him that he should not do so.

Shri P. R. Patel: The income of those persons who are engaged in agriculture today will be divided, minimised, because the property, namely the land-holding will be divided among the sons and daughters according to the present law; their income also will be lessened day by day.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member might continue and distribute all that next time! Now the House will take up the Private Members' Business.

14.31 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FIFTY-SEVENTH REPORT

Sardar A. S. Saigal (Janjgir): I beg to move:

"That this House agrees with the Fifty-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 2nd March, 1960."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Fifty-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 2nd March, 1960."

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: Then there are some Bills to be introduced.

Shri Pocker Sahib and Shri C. K. Bhattacharya are both absent.

Sardar A. S. Saigal.

14.32 hrs.

SIKH GURDWARAS BILL

by Sardar A. S. Saigal

Sardar A. S. Saigal (Janjgir): I beg to move:

"That the time appointed for eliciting opinion on the Bill to provide for the better administration of Sikh Gurdwaras situated in different States of Indian Union and for inquiries into matters connected therewith be further extended upto the 30th July, 1960."

उपाध्यक्ष महोदय, सिख गुरुद्वारा बिल, १९५८ जो है यह १२ दिसम्बर, १९५८ को पेश किया गया था । उस में लिखा था कि ३० मार्च, १९५९ तक जनता की राय आ जाय । लेकिन यह देखा गया कि जनता ज्यादा उत्सुक है कि इस के बारे में वह अपनी राय भेजे । इसलिए २० मार्च, १९५९ को इस सदन के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि कुछ और वक्त दिया जाय । सदन द्वारा ३० जुलाई, १९५९ तक के लिए राय जानने की तारीख बढ़ाई गई । इस के बाद जो रिपोर्टस आईं और जो विचारधारायें प्रकाशित हुईं उन से यह मालूम हुआ कि हम को इस के लिए और ज्यादा समय देना चाहिए । १४ अगस्त, १९५९ को फिर इस सदन के अन्दर आ कर १५ फरवरी, १९६० तक के लिए और समय मांगा गया । इस के बाद जो विचार धारायें आई हैं उन को देखने के बाद और लोगों से जो वार्तालाप मेरा हुआ है, उस के बाद यह जरूरी मालूम होता है कि और समय दिया जाय । और इसी लिए मैं इस सदन के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं कि वह इस के लिए थोड़ा समय और दे । सब से जरूरी चीज यह है इस सम्बन्ध में जानने की कि अभी जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनाव हुए हैं, उस के सदस्यों की राय जानना हमारे लिए जरूरी था, और इसलिए मैं ने उन से भी कुछ वार्तालाप किया . . . . . .